समयबद्ध/अति आवश्यक

कार्यालय- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

दिशा-निर्देश

केन्द्रीय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता(A.C.A.) के अन्तर्गत बकरी यूनिटों की स्थापना-कार्यक्रम का अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त अनुमोदित कार्यक्रम के अनतर्गत योजना लागत की धनराशि **रू0 8.33करोड़** से **चार-वर्षों(वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक)** में चरणबद्ध रूप से कुल **2688-बकरी यूनिटों की स्थापना**, बुन्देलखण्ड के 07-जनपदों क्रमशः झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा एवं महोबा में निम्नानुसार परियोजाना अवधि में किया जाना है:-

क0	जनपद का नाम	बकरी इकाईयों के स्थापना का निर्धारित लक्ष्य
1.	झाँसी	462
2.	जालौन	420
3.	ललितपुर	399
4.	बाँदा	420
5.	चित्रकूट	273
6.	हमीरपुर	399
7.	महोबा	315
योग		**2688**

कार्यक्रम में योजना की कुल लागत रू0 8.33 करोड़ के समक्ष **रू0 7.50करोड़ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता(A.C.A.)** से एवं अवशेष **रू0 0.83करोड़ लाभार्थियों** द्वारा स्वयं व्यय/वहन करने का प्राविधान है। उक्त अनुमोदित धनराशि रू0 8.33करोड़ के सापेक्ष अलोच्य वित्तीय वर्ष 2013-14 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता(**A.C.A.**) के मद में शासन द्वारा रू0 0.35 करोड की धनराशि अवमुक्त की गई है। कार्यक्रम के समुचित क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे है:-

1. बकरी यूनिट की स्थापना में ग्रामीण पशुपालकों में जो भूमिहीन हो उन्हें वरीयता दी जायेगी। इस योजना में ग्रामीण पशुपालक, महिलाओं को विशेष रूप से शामिल किया जायेगा। साथ ही बकरी पालकों को भी वरीयता प्रदान की जाए।
2. एक बकरी यूनिट हेतु 05 मादा बकरी एवं एक नर बकरा क्रय कर आवंटित किया जाये। क्रय से पूर्व शत-प्रतिशत टीकाकरण किया जाना अपरिहार्य है।

3. लाभार्थियों के चयन हेतु स्थानीय रूप से एक कमेटी का गठन किया जायेगा, जिसमें स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी/ग्राम प्रधान सदस्य होंगे। लाभार्थियों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय।

4. प्रति बकरी यूनिट हेतु निम्न विवरणानुसार वित्तीय सहायता कार्यशील पूंजी के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

क0	कार्यशील पूंजी	धनराशि (रू0 में)
1	उन्नत नस्ल की 05 मादा बकरी (09-12 माह आयु) प्रति मादा बकरी दर @रू0 4000.00	20000.00
2	उत्तम नस्ल का एक नर बकरा, दर @ रू05000.00	5000.00
3	बीमा दर प्रति यूनिट 11.63 प्रतिशत	2907.50
4	दाना 3 माह हेतु दर प्रति बकरी 250 ग्राम प्रति दिन प्रति पशु (@रू0 17.00 प्रति कि.ग्रा.)	2295.00
5	दवापान, मिनिरल और विटामिन सप्लीमेन्ट, चिकित्सा, टीकाकरण (@रू0 100.00 प्रति पशु की दर से)	600.00
6	मानीटरिंग रजिस्टर एवं रिकार्ड मेन्टीनेन्स हेतु (@रू0 200.00प्रति इकाई की दर से)	200.00
	कुल योग	**31002.50**

5. बकरी इकाईयों में बरबरी/जमुनापारी प्रजाति के पशुओं का क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

6. प्रति इकाई लागत में इकाई मूल्य का लगभग 10 प्रतिशत लाभार्थी का अंश लिया जाना प्रस्तावित है। अतः उन्हीं लाभार्थियों का चयन किया जाना चाहिये, जो लाभार्थी अंश रू0 3100.00 जमा करने के लिए सहमति प्रदान करें।

7. बकरी इकाईयों की स्थापना एक क्लस्टर के रूप में की जाएगी। उक्त हेतु अधिकांश इकाईयों के एक ही ब्लाक के निकटतम ग्रामों में की जाए। प्रत्येक ग्राम में कम से कम 05-इकाईयां अवश्य स्थापित की जायें।

8. बुन्देलखण्ड पैकेज के प्रथम चरण में लाभान्वित पशुपालकों का चयन नहीं किया जाए।

9. प्रथम चरण की भांति बकरी इकाईयों की स्थापना हेतु पशुओं का क्रय बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बाहर से किया जाए।

10. इकाईयों की स्थापना हेतु नर/मादा बकरियों का क्रय पूर्व में गठित समिति द्वारा ही किया जायेगा। दवाओं आदि का क्रय विभागीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरों पर ही किया जायेगा। मानीटरिंग, रजिस्टर एवं रिकार्ड मेन्टीनेन्स हेतु सामग्री संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।

11. बकरी यूनिटों के रखरखाव हेतु एक रिकार्ड रजिस्टर बनाया जायेगा, जिसमें स्थानीय पशुधन प्रसार अधिकारी द्वारा यूनिट की बकरियों की संख्या, प्रजाति, खान-पान, चिकित्सा, टीकाकरण, जन्म मृत्यु, पोस्टमार्टम, बीमा तथा बीमा क्लेम आदि से संबंधित समस्त रिकार्ड रजिस्टर में अंकित करेगा। पशुधन प्रसार अधिकारी के न होने पर उक्त समस्त कार्यो का निष्पादन स्थानीय पशु चिकित्साधिकारी द्वारा किया जायेगा।
12. प्रत्येक पशु चिकित्साधिकारी एवं पशुधन प्रसार अधिकारी माह में एक बार प्रत्येक दशा में सभी बकरी यूनिटों का निरीक्षण करेंगे तथा लाभार्थियों द्वारा बतायी गयी समस्याओं का तत्काल निदान करेंगे।
13. लाभार्थियों की चयन सूची प्रत्येक संबंधित पशु चिकित्सालय पर अंकित की जाए।
14. प्रत्येक जनपद में गठित बकरी यूनिटों का मूल्यांकन संबंधित अपर निदेशक, गेड-**II** पशुपालन-मण्डल द्वारा समय-सयम पर किया जायेगा।
15. पैकेज अन्तर्गत क्षेत्र में क्रियाशील सचल पशुचिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान इकाई के वाहनों की भी उपयोगिता स्थापित बकरी इकाईयों की समुचित स्वास्थ्य रक्षा के लिये भी किया जायें।
16. उपरोक्त के अतिरिक्त बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण की परियोजना (वर्ष 2013-14 से 2016-17) के क्रियान्वयन/अनुमोदन विषयक, भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-F.No.Q-11050/21/2013-Agri, Dated 11-02-2014 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम् से जारी दिशा-निर्देश/विस्तृत विवरण परियोजना के क्रियान्वयन के लिये सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है, का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायें।

उपरोक्त दिये गये निर्देशों के अनुसार बुन्देलखण्ड पैकेज अन्तर्गत आने वाले जनपदों में बकरी यूनिटों की स्थापना हेतु बकरी पालकों का चयन शीघ्रातिशीघ्र कर लें। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा अद्यतन प्रगति प्रत्येक माह की 05 तारीख को अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

18/3/14

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

पत्रांक-1461 /सा0-1/एक्स-120(187)/बु0ख0पै0-प्रो0विस्तार/2013-14, दिनांक 18 मार्च,2014
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, झांसी/जालौन/ललितपुर/चित्रकूट/बांदा/महोबा/हमीरपुर।
2. अपर निदेशक, ग्रेड-II, पशुपालन विभाग, झांसी/चित्रकूट-धाम।

3. संयुक्त निदेशक (रोग नियंत्रण), प्रधान कार्यालय।
4. अपर निदेशक, (गोधन विकास)/नोडल अधिकारी(बुन्देल खण्ड पैकेज), प्रधान कार्यालय।
5. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/जालौन/ललितपुर/चित्रकूट/बांदा/महोबा/हमीरपुर।
6. विशेष सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन, राज्य योजना आयोग-1, योजना भवन, लखनऊ।
7. प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0, शासन, सचिवालय, लखनऊ।

16/7/2014

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।